कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः प. 32(बी) (1) आब / एल / 2009 / 2690 दिनांकः 03. 02. 2009

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009–10 हेतु राज्य के समस्त नगर निगम , नगर परिषद, एवं नगरपालिका क्षेत्र में तथा भिवाडी (जिला अलवर) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की रीटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारुप मे आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

2. इन दुकानों के प्रति दुकान वार्षिक लाईसेंस फीस (वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिये) की राशि एवं आवेदन शुल्क जो कि non refundable होगा, निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	शहर / गांव का विवरण	लाईसेंस फीस की राशि (लाख रुपये मे)	आवेदन शुल्क की राशि रुपये मे
1.	जयपुर एवं जोधपुर	7.50	7500 / –
2.	अन्य संभागीय मुख्यालय जैसलमेर एवं माउण्ट आबू	6.00	6000 / –
3.	अन्य जिला मुख्यालय	4.00	4000 / –
4.	उक्त के अलावा शेष नगर पालिकाएं एवं भिवाडी (जिला अलवर)	3.25	3250 / –

3. आवेदन पत्र निर्धारित स्टेशनरी चार्ज रु. 30 / –(जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा कराकर किसी भी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । कोई व्यक्ति चाहे तो विभागीय वेब साइड http:// www.rajexcise.org से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर उसमें आवेदन कर सकेगा परन्तु ऐसे आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा अन्यथा उस पर विचार नही किया जायेगा ।

4. इस सूचना के सम्बन्ध मे विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्ते आवेदन पत्र के संलग्न उपलब्ध है । दुकानों की निर्धारित संख्या जो कि अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध है , की सूचि विभागीय वेब साइड पर उपलब्ध है तथा सम्बन्धित जिले की सूचि आवेदन प्रपत्र के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. जिस दुकान/दुकानों के लिये आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों की निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस की 10% राशि का सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष मे एक डिमाण्ड ड्राफ्ट बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष मे स्वीकृति जारी होने पर लाईसेंस फीस पेटे समायोजित कर लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरुप राशनकार्ड /ड्राईविंग लाईसेन्स/आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड /निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टीटी इत्यादि मे से किसी एक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी ।

6. आवेदन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे दिनांक 20.02.2009 को 3.00 बजे तक जमा कराये जा सकेगें । इसके बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेगे ।

7. किसी नगर पालिका /नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन (यदि जोन है तो) हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 24.02.2009 को प्रातः 11.00 बजे जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी । जिस स्थान पर लॉटरी निकालने की कार्यवाही की जायेगी उसकी सूचना आवेदन प्राप्ति की अन्तिम समय सीमा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करादी जावेगी ।

8. जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क, अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया मे सम्मिलित नही किया जावेगा ।

9. आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध मे अन्य जानकारी आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों मे अंकित की गई है । अन्य प्रकार की जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

(सी. पी. व्यास)
आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर